निर्णय व इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 57/2021 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

भारतीय स्टेट बैंक शाखा एस.एम.ई.सी.सी.सी., एलआईसी डिविजनल ऑफिस बिल्डिंग कैम्पस, अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह रोड़, जयपुर (राज.)–302005

प्रार्थी

बनाम

(1) मैसर्स रेनबो मार्केटिंग सर्विसेज प्रो. श्री अरविन्द भाई संघानी पुत्र श्री कड़ावा भाई संघानी (ऋणी) के समस्त विधिक उत्तराधिकारीगण

श्रीमती जय श्री पत्नी स्व. श्री अरविन्द भाई संघानी (श्री अरविन्द भाई संघानी की विधिक उत्तराधिकारी)

श्री मयंक पुत्र स्व. श्री अरविन्द भाई संघानी (श्री अरविन्द भाई संघानी का विधिक उत्तराधिकारी)

श्री ध्रुव पुत्र स्व. श्री अरविन्द भाई संघानी (श्री अरविन्द भाई संघानी का विधिक उत्तराधिकारी)

(अ) 7/1, खण्डेला हाऊस, अम्बर टावर के पीछे, होटल राजधानी पैलेस के सामने, संसार चन्द्र रोड, जयपुर (राज.)

(ब) ए–2/355, एफ–2, मेघना अपार्टमेन्ट, चित्रकूट योजना, वैशाली नगर, जयपुर (राज.)

(स) हाऊस नं. 7, राधारानी मार्ग, पुरोहित पाड़ा, ब्रह्मपुरी, जयपुर (राज.)

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

उपस्थित :–

श्री सत्येन्द्र खोरानियां अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से।

दिनांक 08.04.2021

आदेश

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 20/12/2014 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में मैसर्स रेनबो मार्केटिंग सर्विसेज प्रो. श्री अरविन्द भाई संघानी पुत्र श्री कड़ावा भाई संघानी का 7/1. खण्डेला हाऊस, अम्बर टावर के पीछे, होटल राजधानी पैलेस के सामने, संसार चन्द्र रोड, जयपुर (राज.) पर स्थित हाईपोथिकेटेड ऑफ एन्टायर करन्ट असेट्स एण्ड फिक्स्ड असेट्स (बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर) अर्थात् द स्टॉक्स फिनिश्ड गुड्स, स्टोर्स एण्ड स्पेयर्स, स्टॉक–इन–ट्रांजिट, सण्ड्री डेटर्स, बुक–डेब्ट्स, रिसीवेबल्स, मूवेबल प्लान्ट एण्ड मशीनरीज एण्ड अदर करन्ट असेट्स इत्यादि लेईंग इन द फर्म गोडाऊन एण्ड अदर स्टॉक पॉइन्ट्स (एग्रीमेन्ट ऑफ लोन–कम–हाईपोथिकेशन दिनांकित 20/12/2014 में विस्तृत रूप से परिभाषित) को हाईपोथीकेटेड कर राशि 10,00,000/–रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 02/09/2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस

मजिस्ट्रेट
जयपुर

जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को रू. 10,00,000/– की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज रू. 7,65,589.18/–रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 02/09/2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

5. The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक मैसर्स रेनबो मार्केटिंग सर्विसेज प्रो. श्री अरविन्द भाई संघानी पुत्र श्री कडावा भाई संघानी का 7/1, खण्डेला हाऊस, अम्बर टावर के पीछे, होटल राजधानी पैलेस के सामने, संसार चन्द्र रोड, जयपुर (राज) पर स्थित हाईपोथिकेटेड ऑफ एन्टायर करन्ट असेट्स एण्ड फिक्स्ड असेट्स (बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर) अर्थात् द स्टॉक्स फिनिश्ड गुड्स, स्टोर्स एण्ड स्पेयर्स, स्टॉक–इन–ट्रांजिट, सण्ड्री डेटर्स, बुक–डेब्ट्स, रिसीवेबल्स, मूवेबल प्लान्ट एण्ड मशीनरीज एण्ड अदर करन्ट असेट्स इत्यादि लाईंग इन दा फर्म गोडाउन एण्ड अदर स्टॉक पॉइन्ट्स (एग्रीमेन्ट ऑफ लोन–कम–हाईपोथिकेशन दिनांकित 20/12/2014 में विस्तृत रूप से परिभाषित) का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें।

7. आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

8. आदेश आज दिनांक 08.04.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

8/4/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर